राजस्थान सरकार
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, जैसलमेर

फोन / फेक्स : 02992–252377 **ई–मेल :** pro252377@gmail.com Web Site :www.dipr.rajasthan.gov.in

प्रेसनोट
18.01. 2019

वाहनों का पंजीयन ट्रेकिंग डिवाइस के पश्चात करावें

जैसलमेर, 18 जनवरी। सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2019 के पश्चात पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में तथा 31 दिसम्बर 2018 तक पूर्व में पंजीकृत समस्त सार्वजनिक परिवहन वाहनों दुपहिया, ई–रिक्शा, तिपहिया और कोई परिवहन यान जिसके लिए मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 59 के अधीन परमिट अपेक्षित नहीं होता उनको छोडकर व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस और पेनिक बटन लगे होने के पश्चात की पंजीकृत किया जाना अनिवार्य किया गया है।

जिला परिवहन अधिकारी जैसलमेर ने बताया कि वाहन में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस और पेनिक बटन लगाने के पश्चात की पंजीयन के लिए आवेदन करें।

––––000––––

माह जनवरी में 36 हजार लीटर केरोसीन का उप आवंटन

जैसलमेर, 18 जनवरी। जिले में सार्वजनिक एवं आवश्यक पदार्थ वितरण के तहत जिले में केरोसीन की वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए माह जनवरी के लिए 36 हजार लीटर केरोसीन का उप आवंटन प्राप्त हुआ है। जिला रसद अधिकारी जैसलमेर ने बताया कि जैसलमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड जैसलमेर को 12 हजार लीटर केरोसीन तथा मैसर्स जय लटियाल एजेन्सी पोकरण को 24 हजार लीटर केरोसीन का उप आवंटन किया गया है।

––––000––––